

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 12/प्रा0-1016/2024- 686

पटना - 15, दिनांक :- 07/08/2024

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय-हिलसा प्रमंडल में पूर्व से निर्मित वार्ड स्तरीय पाईप जलापूर्ति योजना जिसके निर्माण के पश्चात् पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव की अवधि समाप्त हो गई है अथवा निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है, का मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना-2 के तहत अगले पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल ₹105.755 लाख (एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की राशि पर योजना की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश-हिलसा प्रमंडल में पूर्व से निर्मित वार्ड स्तरीय पाईप जलापूर्ति योजना जिसके निर्माण के पश्चात् पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव की अवधि समाप्त हो गई है अथवा निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है, का मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना-2 के तहत अगले पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव हेतु कुल ₹105.755 लाख (एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की राशि पर योजना की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना में 100% राशि राज्य योजना मद से वहन किया जाना है।

2. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हिलसा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वार्ड स्तरीय पाईप जलापूर्ति योजना जिसके निर्माण के पश्चात् पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव की अवधि समाप्त हो गई है अथवा निकट भविष्य में समाप्त होने वाली है, में पेयजल की सतत व्यवस्था बनाये रखने हेतु अगले पाँच (05) वर्ष के परिचालन एवं रख-रखाव की आवश्यकता है।
3. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित योजनाओं के परिचालन एवं रख-रखाव से संबंधित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन पर कुल ₹105.755 लाख (एक करोड़ पाँच लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का व्यय संभावित है, जिसका तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है। इस प्राक्कलित राशि में योजनाओं के पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव (विद्युत प्रभार सहित) की राशि शामिल है। प्राक्कलन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु योजनावार राशि एवं योजना अंतर्गत अछादित वार्ड निम्नवत है:-

दिनांक 30.09.2024 तक परिचालन एवं रख-रखाव की 5 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चके / पूर्ण होने वाले योजनाओं का अगले 5 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव से संबंधित विवरणी।									
क्र० सं०	जिला का नाम	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	योजना का नाम	योजना का प्रकार	अछादित वार्ड	अछादित वार्डों की कुल	तकनीकी अनुमोदित राशि (रुपया में)
1	नालंदा	हिलसा	ईस्लामपुर	ढेकवाहा	WLS	WLS	9	1	665700
2	नालंदा	हिलसा	ईस्लामपुर	ढेकवाहा	WLS	WLS	12	1	740700
3	नालंदा	हिलसा	ईस्लामपुर	शुद्धी	WLS	WLS	7	1	710700
4	नालंदा	हिलसा	थरथरी	नाराणपुर	WLS	WLS	13	1	663700
5	नालंदा	हिलसा	थरथरी	नाराणपुर	WLS	WLS	15	1	799700
6	नालंदा	हिलसा	एकंगरसराय	एकंगरडीह	WLS	WLS	12	1	697700
7	नालंदा	हिलसा	एकंगरसराय	एकंगरडीह	WLS	WLS	14	1	680700
8	नालंदा	हिलसा	एकंगरसराय	तेलहारा	WLS	WLS	2	1	659700
9	नालंदा	हिलसा	एकंगरसराय	तेलहारा	WLS	WLS	3	1	664700
10	नालंदा	हिलसा	एकंगरसराय	तेलहारा	WLS	WLS	4	1	679700
11	नालंदा	हिलसा	एकंगरसराय	तेलहारा	WLS	WLS	5	1	629700
12	नालंदा	हिलसा	एकंगरसराय	मंडाछ	WLS	WLS	7	1	682700
13	नालंदा	हिलसा	परबलपुर	शिवनगर	WLS	WLS	1	1	759700
14	नालंदा	हिलसा	हिलसा	इंदौत	WLS	WLS	9	1	777700
15	नालंदा	हिलसा	हिलसा	इंदौत	WLS	WLS	12	1	762700
Total (Hilsa) =								15	10575500

4. उपर्युक्त लक्ष्य के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं का वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक परिचालन एवं रख-रखाव किया जायेगा। वर्षवार वित्तीय विवरणी निम्न प्रकार है:-

2024-25 (राशि लाख में)	2025-26 (राशि लाख में)	2026-27 (राशि लाख में)	2027-28 (राशि लाख में)	2028-29 (राशि लाख में)	2029-30 (राशि लाख में)	कुल (राशि लाख में)
6 माह	पूर्ण वर्ष	पूर्ण वर्ष	पूर्ण वर्ष	पूर्ण वर्ष	6 माह	
10.5755	21.151	21.151	21.151	21.151	10.5755	105.755

- योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि का उपबंध है।
- जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, संपोषण एवं मरम्मत का कार्य विभागीय संकल्प संख्या 543, दिनांक 28.06.2021 द्वारा प्रावधानित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा
- योजना का परिचालन एवं रख-रखाव, योजनाओं का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जायेगा।
- इस योजना के परिचालन एवं रख-रखाव पर होने वाले व्यय का बजट शीर्ष-मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति तथा सफाई-उपमुख्य शीर्ष 01-जलपूर्ति, लघु शीर्ष 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख-रखाव-सात निश्चय-2, विपत्र

9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।
10. संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।
11. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम-से-कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को जरूर भेजेंगे तथा आवश्यकतानुसार निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।
12. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
13. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
14. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।
15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-एम4-53/2007/3758/वि0, दिनांक -31-05-17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
16. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
17. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।
18. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जायेगी।
19. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है।
20. वर्ष 2024-25 के वार्षिक योजना उद्ध्य एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
21. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

जावेद
6/8/24

(मो0 सादुल्लाह जावेद)

अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव

पटना - 15, दिनांक :- 07/08/2024

ज्ञापांक - 12/प्रा0-1016/2024- 686

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक)/विशेष पदाधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/विशेष

पदाधिकारी के तकनीकी सलाहकार-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक (अन०)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं०-२ एवं ३/प्रशाखा-१२/कार्यवाह सहायक-१२/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३. संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/ संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

४. कार्यपालक अभियंता स्वीकृत योजना की मर्दों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरंत विभाग के संज्ञान में लायेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

५. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

जावेद
६/८/५

(मो० सादुल्लाह जावेद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव